

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03 / विविध-07-213 / 2014..... / राँची, दिनांक :

आदेश

श्री सुजीत कुमार (जे.एम.-0058), कनीय अभियंता (यॉत्रिक), जलपथ प्रमंडल, खूँटी को एतद् द्वारा I.E.I. (A.M.I.E.) से Self Study Mode में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से B.Tech (यॉत्रिक अभियंत्रण) की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति अधोवर्णित शर्तों के साथ दी जाती है :-

- (i) इनके शिक्षा अवधि में सरकारी कार्य सुचारु रूप से किया जायेगा तथा विभागीय हित अक्षुण्ण रहेगा।
 - (ii) प्रैक्टिकल करने हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से अवकाश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - (iii) उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर Out of turn प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा।
 - (iv) इस शिक्षा के लिये किसी प्रकार का ट्यूशन-शुल्क, यात्रा भत्ता अथवा छात्रवृत्ति अनुमान्य नहीं होगा।
2. आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, खूँटी / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)